जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/64 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 17 अप्रैल 2021

कुंडा में हुआ भ्रष्टाचार का खेला!!!

सील होने पर अवैध बिल्डिंग की सील खोली!!!

भाग-1

जयपुर नगर निगम हेरिटेज केआमेर ज़ोन द्वारा श्री हरिनारायण पुत्र श्री नारायण निवासी कुंडा,आमेर,बस स्टेंड के पास की बिल्डिंग को गत वर्ष नवम्बर माह में अंतिम नोटिस देकर सील कर दिया गया था|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

कार्यालय उपायुक्त हवामहल/आमेर जोन, नगर निगम हैरिटेज जयपुर।

क्रमांक :– F 51 ( ) Dept.Comm./H.M.Z(w)/ 2020/ दिनांक :–

श्री हरिनारायण पुत्र श्री नारायण,
निवासी बस स्टेण्ड के पास, कुण्डा आमेर,
जयपुर।

अन्तिम नोटिस

आपके द्वारा मकान उत्तर व पश्चिम दिशा देखते हुये में तहखाना एवं जी+2 का निर्माण कार्य करवा लिया है। मौके पर तहखाने में एवं ग्राउण्ड फ्लोर पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ दुकाने बनाकर रोलिंग शटर भी तामीर करवा लिये है। जिसके सम्बन्ध में आपको पूर्व में भी नोटिस क्रमांक 754 दिनांक 06.11.2020 जारी किया गया था। जिसके उपरान्त भी आपके द्वारा निर्माण कार्य बन्द नही किया गया है। ना ही नोटिस का अभी तक कोई असर लिया गया है।

अतः आपको अन्तिम नोटिस जरिये सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा बिना स्वीकृति के किये गये, निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से बन्द कर अवैध निर्माण कार्य को स्वंय के स्तर पर 24 घण्टे में हटवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करे, अन्यथा समया–मियाद गुजरने पर आपके विरूद्व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत नियमानुसार ध्वस्तीकरण/सीजर की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।

सूचित रहे।

उपायुक्त
हवामहल/आमेर
नगर निगम, हैरिटेज जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् उपायुक्त सर्तकता शाखा, नगर निगम हैरिटेज जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

उपायुक्त
हवामहल/आमेर
नगर निगम, हैरिटेज जयपुर।

D:\building\susial ji jen 16 no..doc

कुंडा आमेर का है मामला|

यह मामला नगर निगम हेरिटेज के आमेर ज़ोन से जुड़ा हुआ है जहाँ पर कुंडा बस स्टेंड के पास श्री हरिनारायण द्वारा अवैध काम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा था|जिसकी भनक ज़ोन के कारिंदों को लगने पर वह गिद्ध की भांति यहाँ मंडराने लगे|लेकिन शायद अवैध निर्माणकर्ता को भी अपने रसुखातों पर घमंड था इसलिए वह भी इन कारिंदों को भाव नहीं दे रहा था|लेकिन आप तो जानते ही है बाबु की कलम की ताकत,कारिंदों ने कुछ नहीं मिलने की खीझ में इस रायते को फ़ैलाने में ही भलाई समझी और वह इसे नोटिस पर नोटिस देने लगे,लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माणकर्ता अपनी अकड में रहा और इन कारिंदों को घास नहीं डाली|अवैध निर्माणकर्ता कि इस अकड़ से आजिज होकर ज़ोन के कारिंदों ने इस अवैध बिल्डिंग को अंततः सील कर दिया|सील की कार्यवाही से अवैध निर्माणकर्ता को अपने रसुखातों की पोल मालुम चली और जब उसके चहेते नेता-नांगलों ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ दिया तब अवैध निर्माणकर्ता को बुद्धम शरणम् गच्छामि होना पड़ा|

जेबें गरम होने पर अवैध निर्माण हुआ वैध और खुल गयी सील|

आप तो नगर निगम के काम करने के तौर तरीकों को जानते ही है यहाँ पर आते भी राम बोलना पड़ता है और जाते हुए भी राम बोलना पड़ता है|जब अवैध निर्माणकर्ता ज़ोन के कारिंदों की शरण में **बुद्धम शरणम् गच्छामि** हुआ तो उसे अपनी भूल का पता चला,लेकिन ज़ोन के कारिंदों ने उसे मुहावरे से समझाया कि यदि सुबह का भुला शाम को लौट आये तो उसे भुला नहीं कहते|और उसे सील खोलने का रास्ता बता दिया| हालांकि सील खुलवाने के लिए अवैध निर्माणकर्ता को तिगुनी रकम खर्च करनी पड़ी लेकिन कोई चारा नहीं देख उसे मजबूरन तिगुनी राशि खर्च करनी पड़ी|लेकिन इस खर्च से उसे एक फायदा हो गया कि अब उसकी अवैध बिल्डिंग हमेशा के लिए वैध जो हो गयी है|अब नगर निगम तो क्या यदि मुख्यमंत्री खुद भी आ जाये तो भी इस अवैध निर्माण(माफ़ करना वैध निर्माण) को सील नहीं कर सकते|

अशोक गहलोत के सुशासन की जय|

नगर निगम में चल रहे रहे इस गौरख धंधे पर हो हमें चुनावों के समय सुशासन की कसमे खाने वाले माननीय अशोक गहलोत के भाषण याद आ जाते है|हमें तो बस इतना ही कहना है कि यदि यह सुशासन है तो कुशासन कैसा होगा?

क्या होगा आगे?

बहरहाल अब इस अवैध ईमारत की सील खुल चुकी है और अवैध निर्माणकर्ता द्वारा बेखौफ होकर इस बिल्डिंग का बचा-कूचा काम करवाया जा रहा है|लेकिन स्थानीय लोगो को अभी भी इस अवैध निर्माण पर आपत्ति है और उनका कहना है कि इस अवैध निर्माण को वैध करने से कुंडा क्षेत्र में अवैध निर्माणों की बाढ़ आ जाएगी और आम आदमी का जीना दुर्भर हो जाएगा|

स्थानीय लोगो का कहना है कि यक़ीनन अवैध निर्माणकर्ता श्री हरिनारायण द्वारा झूठा शपथ पत्र देकर सील खुलवाई गयी होगी|जिसमे दावा किया गया होगा कि वह आवासीय भवन बना रहा है और यदि कोई अवैध निर्माण है तो उसे स्वयं के खर्चे पर हटा देगा|

24x7 Helpline: 8196822222

20/03/RP

विधानसभा में शहरी निकायों को लेकर दो विधेयक पारित

खोला ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियों का द्वार, अफसरों से छीना सील खोलने का अधिकार

...राज्य सरकार ने शहरी निकायों में मनोनीत पार्षदों की संख्या बढ़ाकर ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां देने का रास्ता खोल दिया है, वहीं भवनों की सील ...ने लिया है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी। विधानसभा में शुक्रवार को पेश राजस्थान विधियां (संशोधन) ...पास हो गए। इसके तहत शहरी निकाय और प्राधिकरणों से संबधित कानूनों में ...प्राधिकरण को देने, अवैध निर्माण की सील खोलने ...योग्यजन जोड़ने

जयपुर, रविवार, 21 ...

जेडीए सीमा में 131 और निगम में 150 से अधिक इमारतें सील

राजधानी की 281 इमारतों पर नए कानून का शिकंजा

21/03/RP

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. राज्य सरकार के सील खोलने के नए आदेश के बाद राजधानी में 281 इमारतों से अधिक के सील खुलने पर संकट के बादल खड़े हो गए हैं। इन इमारतों को अब खुलवा पाना आसान नहीं होगा। इन इमारतों को हर हाल में बिल्डिंग बाइलॉज के अनुरूप ही ढालना होगा, तभी सील खुलेगी। जेडीए सीमा क्षेत्र में सर्वाधिक 131 इमारतें सील खड़ी हैं। इनमें से अधिकतर इमारतें पिछले दो वर्षों में सील की गई हैं। वहीं हैरिटेज नगर निगम में 100 से अधिक सील इमारतें खड़ी हैं। इसके अलावा ग्रेटर निगम सीमा क्षेत्र में भी करीब 50 इमारतें विभिन्न जोन में सील की गई हैं।

निगम: कइयों ने झूठा शपथ पत्र दे खुलवाई

नगर निगम सीमा क्षेत्र में झूठा शपथ पत्र देकर भी सील खुलवाने के मामले आए हैं। इतना ही नहीं अधिकारियों

खोला ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियों का द्वार, अफसरों से छीना सील खोलने का अधिकार

असर

निर्माण अवैध बताकर जोन कार्यालय लगाता सील, मुख्यालय खुलवा देता

राजस्थान पत्रिका

प्रकाशित खबर

जेडीए: 13 माह से नहीं खुली कोई सील

फरवरी 2020 के बाद से जेडीए ने किसी भी सील इमारत की सील नहीं खोली है। पृथ्वीराज नगर, उत्तर में एक अवैध इमारत के मालिक ने अवैध निर्माण हटाने का शपथ पत्र देकर सील खुलवाई थी, लेकिन प्रवर्तन शाखा ने वहां पर गार्ड बैठा दिया और अवैध निर्माण न हटाने के चलते 46 वें दिन फिर से इमारत को सील कर दिया गया। कोई व्यक्ति सील न तोड़े इसके लिए इमारतों के प्रवेश और निकास द्वार पर दीवार खड़ी करना जेडीए ने शुरू किया है।

ने कागजों पर तो इमारत को सील बताया जबकि मौके पर इमारत ही पूरी बनकर खड़ी हो गई है। ऐसे मामले सिविल लाइंस जोन, मानसरोवर जोन, विद्याधर नगर जोन और मुरलीपुरा जोन में सामने आए हैं। किशनपोल जोन में सर्वाधिक इमारतें सील हैं, हालांकि ये बात भी सही है कि पिछले एक से डेढ़ वर्ष में इस इलाके में तेजी से बिल्डिंग बाइलॉज का उल्लंघन कर इमारतों के निर्माण हुए हैं। आदर्श नगर में भी 25 से 30 इमारतें सील खडी हैं।